न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 43/2024

अनवान : —

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवारी नेठराना त0 भादरा। — वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. विजयपाल बाना पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री श्रवण सहारण वादी
सरबजीत कौर प्रतिवादी

दिनांकः

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 बी आर डब्ल्यु के खाता सं0 95/88 के मु0न0 18 के किला न0 6/1, 6/2, 7, 8, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 4.554है0 मु0न0 24 के किला न0 1 की 0. 253है0 कुल 4.807 है0 जिसमें 4.755है0 नहरी व 0.052 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने न्यायालय में कार्यवाही के लिए कहा, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया । राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी ओमप्रकाश द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें जमाबंदी वर्तमान खाता सं0 95/88 प्रदर्श 01 , जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 02 शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 03 प्रदर्शित करवाये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन [illegible] जिस पर वकील प्रतिवादी [illegible] भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रोही मौजा चक 4 बी आर डब्ल्यु के खाता सं0 95/88 के मु0न0 18 के किला न0

Scanned with OKEN Scanner

6/1, 6/2, 7, 8, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 4.554है0 मु0न0 24 के किला न0 1 की 0.253है0 कुल 4.807 है0 जिसमें 4.755है0 नहरी व 0.052 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रदर्श 02 से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 ने राजीनामा में अपना नाम कलमजन करने हेतु निवेदन किया है। लेकिन प्रस्तुत वाद में वादी ने उक्त वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से अन्य जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादी सं0 1 के नाम वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 4 बी आर डब्ल्यु के खाता सं0 95/88 के मु0न0 18 के किला न0 6/1, 6/2, 7, 8, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 4.554है0 मु0न0 24 के किला न0 1 की 0.253है0 कुल 4.807 है0 जिसमें 4.755है0 नहरी व 0.052 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार की बजाए वादी ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार प्रतिवादी सं0 2 देवीलाल प्रतिवादी सं0 3 विजयपाल बाना प्रत्येक 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रिकार्ड में दर्ज गै0मु0 रास्ता खाला भूमि को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/05/24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 45/2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. विजयपाल बाना पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादीगण सरबजीत कौर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बी आर डब्ल्यु के खाता सं0 95/88 के मु0न0 18 के किला न0 6/1, 6/2, 7, 8, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 4.554है0 मु0न0 24 के किला न0 1 की 0.253है0 कुल 4.807 है0 जिसमें 4.755है0 नहरी व 0.052 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार की बजाए वादी ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार प्रतिवादी सं0 2 देवीलाल प्रतिवादी सं0 3 विजयपाल बाना प्रत्येक 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै0मु0 रास्ता खाला भूमि को यथावत रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

24/05/24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner